न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 531/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
दिलीप सिह पुत्र मानसिह माली परिहार निवासी ग्राम बासनी तम्बोलियानं तहसील व जिला जोधपुर		1– कुनराज पुत्र बनजी माली निवासी ग्राम बासनी तम्बोलियान तहसील व जिला जोधपुर 2– सीताराम पुत्र छैलाराम जाति माली निवासी बासनी तम्बोलियान तहसील व जिला जोधपुर 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 33/2014 अनवान कुनराज बनाम सीताराम वगैरा मे दिनांक 29–3–2016 एवं 31–3–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री जे.गहलोत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री कमलेश फोफलिया अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3 रेस्पो0 संख्या 2 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
4–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 12–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बासनी तम्बालियान पटवार मण्डल सुरपुरा के खसरा नंबरान 1, 22, 25, 28, 51, 55, 67 की 30.09 बीघा भूमि के खातेदार सीताराम पुत्र छैलाराम परिहार ने उक्त खातेदारी की भूमि मे से उसके हिस्से की 4 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचान वर्तमान अपीलांट दिलीप सिह पुत्र मानसिह परिहार के पक्ष मे दिनांक 27–8–2004 को करने पर बेचान के आधार पर उक्त खातेदारी का म्युटेशन संख्या 540 अपीलांट के पक्ष मे भरकर पेश किया, जिसे तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 25–8–2009 को स्वीकृत किया गया । उक्त म्युटेशन संख्या 540 के विरूद्ध वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 कुनराज पुत्र बनजी ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिस पर पारित आदेश दिनांक 31–7–2014 के द्वारा नामांतरकरण संख्या 540 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि वह बेचान दस्तावेज, शुद्धि पत्र तथा नामांतरकरण के नियमों/प्रावधानो के तहत उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए युक्तियुक्त निर्णय पारित करे । जिसकी पालना मे तहसीलदार जोधपुर ने आदेशिका दिनांक 29–3–16 मौजा बासनी मालिया के नामांतरकरण संख्या 540 पर निरस्तगी का पृष्ठांकन कर हल्का पटवारी को जमाबंदी मे अमल दरामद हेतु भेजा जावे । पत्रावली फेसल होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश दिनांक 29–3–16 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील पक्षकारान उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश कर दी थी जो पत्रावली पर उपलब्ध है । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मैने अपीलाधीन भूमि के रेकर्डेड खातेदार वर्तमान अपील के रस्पो0 संख्या 2 सीताराम से उसके हिस्से एवं कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि मे से 4 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीद की थी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि उसके पक्ष मे रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा उसके पक्ष मे किये गये रजिस्टर्ड बेचाननामे के आधार पर नामांतरकरण संख्या 540 विधिवत रूप से तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील मे अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–7–2014 के द्वारा अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किये गये म्युटेशन को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए युक्तियुक्त निर्णय पारित करें ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा सम्पन्न की गई कार्यवाही की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा रेस्पो0 संख्या 2 के नोटिस तामिल करवाये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अंतिम आदेशिका दिनांक 29–2–2016 मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 सीताराम के नोटिस पुनः पेश करने का आदेश पारित किया था तथा आगामी पेशी को पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेशिका दिनांक 29–3–16 के द्वारा सीधे ही आदेशिका मे "माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार मौजा बासनी मालिया के नामांतरकरण संख्या 540 पर निरस्तीकरण का पृष्ठांकन कर हल्का पटवारी को जमाबंदी मे अमल दरामद हेतु भेजा जाने का आदेश पारित कर दिया, उक्त आदेश न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के निर्णय मे दिये गये निर्देशो के अनुरूप नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर ने अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया, पक्षकारो के कोई बयान नही लिये और न ही मौके की रिपोर्ट तलब की । वकील अपीलांट ने कथन किया कि तहसीलदार जोधपुर की आदेशिका अनुसार पत्रावली तामिल एवं न्यायालय मे विचाराधीन वाद संबंधी विवरण मंगाये जाने पर चल रही थी परंतु सीधे ही अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 सीताराम को अपने खातेदारी के हिस्से तक का बेचान करने का पूरा अधिकार था इसलिए उसके द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी मे से अपीलांट के पक्ष मे 4 बीघा भूमि का विधिवत रजिस्टर्ड बेचान किया था तथा उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये नामांतरकरण संख्या 540 को निरस्त करने बाबत पारित अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर का निर्णय विधिसम्मत नही होने से अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध बेचान के आधार पर स्वीकृत किये गये

नामांतरकरण संख्या 540 को बहाल रखे जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान आर.आर.टी.2009 (1) पेज 25 की निर्णय नजीर प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय नजीर मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संयुक्त सम्पति के सभी सह अंशधारी बिना विभाजन के उसके हिस्से की सम्पति को विक्रय करने का हकदार है इसलिए रेस्पो0 संख्या 2 सीताराम द्वारा अपने हिस्से की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान अपीलांट के पक्ष मे करने पर जो अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 540 स्वीकृत किया गया था, वह विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–3–2016 एवं उसकी पालना करने हेतु पटवारी हल्का सुरपुरा को दिये गये आदेश दिनांक 31–3–2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई का अवसर दिया गया था । अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे वकालातनामा पेश किया गया था तथा वकील तारीख पेशी पर उपस्थित आये थे तथा उनके द्वारा आपत्तिगं भी पेश की थी जिन आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही जो निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस एवं रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो जिसमे न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित किया गया निर्णय दिनांक 31–7–2014 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जिसके द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 540 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रकरण मे बेचान दस्तावेज, शुद्धि पत्र जिसका नामांतरकरण मे उल्लेख आया है तथा नामांतरकरण नियमो/प्रावधानों के तहत उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए युक्तियुक्त निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था । जिसके कम मे तहसीलदार जोधपुर की रिमाण्ड कार्यवाही की पत्रावली संख्या 33/2014 का अध्ययन किया, जिसमे उक्त प्रकरण आदेशिका दिनांक 21–11–14 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब करने का आदेश पारित करते हुए पत्रावली दिनांक 17–12–2014 को नियत की गई । दिनांक 17–12–2014 को अप्रार्थी दिलीपसिह (वर्तमान अपीलांट) की ओर से वकालातनामा प्रस्तुत हुआ तथा पेशी दिनांक 27–1–15 को रखी गई । दिनांक 27–1–15 से दिनांक 29–12–15 तक पीठासीन अधिकारी दीगर कार्य मे व्यस्थ होने से कोई कार्यवाही सम्पन्न नही हुई तथा पेशी दिनांक 29–12–15 मे पटवारी हल्का से रिपोर्ट आनी शेष बताते हुए पत्रावली दिनांक 28–1–16 को नियत की गई । आदेशिका दिनांक 28–1–16 मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश हुई जिसके अनुसार वाद विचाराधीन होना बताया अतः न्यायालय से वाद संबंधी विवरण मंगवाया जाकर

पत्रावली दिनांक 29–2–16 को रखी गई । दिनांक 29–2–16 की आदेशिका मे दिलीपसिह के अलावा शेष रेस्पो0 सीताराम का नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने से पुनः सीताराम के नोटिस जारी के आदेश पारित कर पत्रावली दिनांक 29–3–16 को पत्रावली नियत की गई तथा दिनांक 29–3–2016 को ही न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–7–14 मे दिये गये निर्देशो की पालना किये बिना तहसीलदार जोधपुर ने अपनी आदेशिका दिनांक 29–3–16 मे ही मौजा बासनी मालिया के नामांतरकरण संख्या 540 पर निरस्तगी का पृष्ठांकन कर हल्का पटवारी को जमाबंदी मे अमल दरामद हेतु भेजा जावे । पत्रावली फेसल होकर नंबर से कम हो, संबंधी आदेश पारित कर दिया ।

ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 29–3–2016 को पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे न्यायालय अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–7–14 मे दिये गये निर्देशो की अक्षरशः पालना करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 12–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर